

न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. /2017-18 निगरानी

PIBR/निगरानी/शाजापुर/भू.प्र. 18/2018/01576

हेमराज पिता कन्हैयालाल आयु 60 वर्ष  
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम पोलायकलां  
तहसील पोलायकलां जिला शाजापुर  
.....आवेदक

कमल सिंह आंजना

K Singh

विरुद्ध

1. रामा पिता हरी जाति चमार निवासी ग्राम  
पोलायकलां तहसील पोलायकलां जिला  
शाजापुर (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

जी कमल सिंह आंजना कर्षियमाला  
द्वारा अनावेदकगण  
केम्प उज्जैन  
प्रति

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील पोलायकलां  
जिला शाजापुर के प्रकरण क्र. 0048/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक  
08.01.2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल के दिन मुजरा करने पर निम्न  
कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।


1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के  
विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्र.1 द्वारा ग्राम  
पोलायकलां तहसील पोलायकला की भूमि सर्वे क्र. 150 रकबा 0.199 हे. भूमि का  
सीमांकन करवाने हेतु आवेदन दिये जाने पर पटवारी द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना  
दिये बिना किसी आधार के फिल्डबुक बनाये बिना सीमांकन किया है जो प्रथम दृष्टिया  
निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, सीमांकन के समय आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है इस  
संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें आवेदक  
का नाम नहीं है एवं न ही इसके हस्ताक्षर हैं। इस कारण से आवेदक के अभाव में

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2018/1576

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह आंजना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	